अक्षर

52

अकार

विचारशीलता और बौद्धिक हस्तक्षेप का उपक्रम

सम्पादक
प्रियंवद

उप सम्पादक
जीवेश प्रभाकर

वर्ष-18 अंक 52
अप्रैल 2019

यह अंक
www.notnull.com
पर उपलब्ध है ।

एक प्रति	- 50 /- रु.
वार्षिक सदस्यता	- 150/- रु.
संस्थागत वार्षिक सदस्यता	- 200/- रु.
तीन वर्ष की सदस्यता (व्यक्तिगत)	- 400/- रु.
तीन वर्ष की सदस्यता (संस्थागत)	- 600/- रु.
आजीवन सदस्यता (व्यक्तिगत)	- 1500/- रु.
संस्थागत आजीवन सदस्यता	- 2000/- रु.

पत्रिका रजिस्टर्ड डाक अथवा कूरियर से मंगाने के लिये वार्षिक सदस्य कृपया 100/- रुपये (तीन अंक) और जोड़ लें ।

प्रकाशक

अकार प्रकाशन, 15/269, सिविल लाइन्स, कानपुर - 208 001

ई मेल - akarprakashan@gmail.com

सम्पर्क :

प्रियंवद

15/269, सिविल लाईन्स, कानपुर - 208 001

फोन न. : 0512-2305561 (नि.) (मो.) 09839215236

ई मेल - priyamvadd@gmail.com

जीवेश प्रभाकर :

69/2113, रोहिणीपुरम -2, रायपुर-492001 (छ.ग.)

ई मेल - jeeveshprabhakar@gmail.com मो. - 09425506574

आवरण :- सादिकैन की पेंटिंग - Couple in an Embrace, c.1958

मुद्रक

सांखला प्रिंटर्स, विनायक शिखर, बीकानेर - 334003, फोनः - 0151-2242023

कम्पोज़िंग

विकल्प विमर्श, 87 निगम कॉलोनी, रायपुर - 492 001

सम्पादन व संचालन अवैतनिक । समस्त विवाद कानपुर न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे । पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के विचार सम्बन्धित लेखक के अपने हैं । सम्पादक अथवा प्रकाशक का उससे सहमत होना अनिवार्य नहीं है ।

आप 'अकार' के लिये धन राशि अपने क्षेत्र के 'बैंक ऑफ बड़ौदा' की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं । 'अकार' के खाते के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं । आपको 'अकार' के खाते में राशि जमा कराने के लिये शुरू के चार ब्यौरों की जरूरत पड़ेगी। नेट द्वारा जमा कराने पर शेष दो ब्यौरे भी काम आएगें ।

Name of the Firm which Holds the bank Account :- AKAR PRAKASHAN
Bank Name :- Bank of Baroda, Bank Adress :- Panki, Site - 1, Kanpur - 208002.,
Bank Account No.- 09620200000089 MICR Code :- 208012012
IFSC Code :- BARB0PANKIX (0 is ZERO, NOT ALPHABETICAL O)

अनुक्रम

1. **अकथ** : लोकतंत्र के कुछ बुनियादी सवाल - प्रियंवद 04

2. **शहरनामा** : कांक्रीट के जंगल में गुम होते शहर-4
बम्बईः जब फिल्मों ने बोलना सीखा! - जितेन्द्र भाटिया.....14

3. **संस्मरण** : जामिया, मुजीब भाई और मैं - असग़र वजाहत.....29

4. **संस्मरण** : समरेश बसुः जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा - बादल बसु 40

5. **संस्मरण** : सादिकैन : कुछ यादें -नूरुल हसन जाफ़री 55

6. **प्रसंग-अप्रसंग :** - महाप्राण रेडियो पर
- ऐसे निरभिमानी थे उस्ताद - नवनीत मिश्र 73

7. **पत्र :** पं. सुन्दरलाल पर मुल्कराज आनंद का पत्र - सुधीर विद्यार्थी 80

8. **संस्मरण** : राजेंद्र माथुर : इंदौर का कर्ज़ लखनऊ में चुकाते हुए - नवीन जोशी 85

9. **कविताएँ :** सुभाष राय 101

10. **प्रसंग-अप्रसंग :** आधी अधूरी सरगम - लता शर्मा 106

11. **रपट :** साझी विरासत की गूँज - अविनाश मिश्र 109

लोकतंत्र के कुछ बुनियादी सवाल

जब-यह अंक आपके हाथों में पहुँचेगा, देश चुनावों के बीच में होगा । 23 मई को मतगणना के बाद नया जनादेश भी सामने आ जाएगा । देश को एक नयी सरकार मिलेगी । इस नयी सरकार में कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरे भी होंगे । कुछ नयी नीतियाँ, नए कार्यक्रम, नए संकल्प भी सामने आएंगे । इनको पूरा करने के लिए नयी उम्मीदों के साथ नया नया शुरुआती जोश भी होगा । कुछ नए लक्ष्य तय किए जांएगे और उन्हें पाने की नयी कोशिशें भी शुरु कर दी जाएंगी । पर इस सब 'नए' के बीच कुछ पुरानी चीजें भी होंगी जो नहीं बदलेंगी। जो नहीं बदलेगा, वह इस देश की जनता का बेबस, थका-हारा चेहरा, आँखों की नाउम्मीदी और अपने जीवन और भविष्य को लेकर डरावनी आशंकाए होंगी। जो नहीं बदलेगा,वह लोकतंत्र के नाम पर अगले पाँच सालों के लिए फिर किसी अकर्मण्य, अक्षम सरकार को अपने कंधों पर ढोने की लोगों की विवशता होगी। जो नहीं बदलेगा, वह सत्ता की संवेदनहीनता, उसका अमानवीय स्वरूप, उसकी दमनकारी नीतियाँ और इसके परिणाम स्वरूप समाज में प्रत्येक स्तर पर बढ़ती असमानता होगी । अपने लिए एक सुंदर, सुनिश्चित भविष्य तलाशती, कमजोर बदन और पीले चेहरों वाली बदहवास नौजवान पीढ़ी भी नहीं बदलेगी । गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा का बढ़ता ग्राफ़ नहीं बदलेगा। ये बातें निराधार नहीं हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ के 'खुशहाली इंडेक्स' (हैप्पीनेस इंडेक्स) में दुनिया के 156 देशों में भारत का स्थान 140 वाँ है । जनता की यह खुशहाली सिर्फ पैसे से नहीं नापी गयी है । इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन, जीवन को सामाजिक समर्थन, स्वस्थ-जीवन आयु, जीवन में चुनाव की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अवधारणा भी शामिल हैं। पाकिस्तान का स्थान 67 वाँ और चीन का 93 वां है। कोई इसकी पुष्टि करना चाहे तो अपने शहर/गांव के रेल्वे स्टेशन पर कुछ देर खड़ा हो कर,

गुजरने वाली रेलों के जनरल डिब्बों को देख ले। उसे एक मुट्ठी हिन्दुस्तान दिख जाएगा।

हमारी 72 साल पुरानी आजादी और 70 साल पुराने गणतंत्र में यदि जनता की इतनी दारुण स्थितियाँ हैं, तो यह सवाल पूछना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों है? इस लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता ही यदि सबसे दबी, कुचली, दुखी है और नेता ही सर्वशक्तिमान हैं, और ये नेता जनता की खुशहाली, तरक्की, उम्मीद को नहीं बढ़ा सकते, तो फिर इन चुनावों का क्या अर्थ है? यह सवाल पूछा ही जाएगा कि यह किसका लोकतंत्र है? किस जनता का है? कौन है यह जनता? क्या है इसकी शक्ति? कहाँ है? क्यों देती है यह वोट और वोट देने के बाद इस जनता का क्या होता है? इस जनता को कौन बहत्तर सालों से छल रहा है और वह कैसे सफल होता चला आ रहा है ? क्यों यह जनता इतनी मजबूर है, इतनी कमजोर है कि किसी के भी बहकावे में आ जाती है? क्यों अयोग्य और स्वार्थी लोगों को चुनती है? इनका दमन, अन्याय सब चुपचाप बर्दाश्त करती है? इस बारे में क्या कहता है हमारा संविधान? क्या जनता का काम सिर्फ वोट देना और कुछ धूर्तों और मूर्खों के बीच से अपने लिए किसी का चुनाव करना भर है? क्या लोकतंत्र में जनता की इतनी ही भूमिका है, और अधिकार कोई नहीं है? क्यों और कैसे चुनावों के बाद क्रूर और अयोग्य व्यवस्थाएं उस पर नकेल कसती चली जाती हैं? और कौन हैं ये लोग जो यह करते हैं? कैसे अपने इरादों में सफल हो जाते हैं? यह चुनाव हमें एक अवसर दे रहा है कि जनता, चुनाव, लोकतंत्र, वोट, संविधान के कुछ बुनियादी सवालों और इनके आपसी संबधों पर बात करें। लोकतंत्र के असली प्राणतत्व 'जनता' की स्थिति, शक्ति और अधिकार को समझें जिनमें हम सब शामिल हैं, जहाँ से हमारे जीवन के सुख दुख तय होते हैं । इसके लिये हमें थोड़ा सा इतिहास और थोड़ा विचार की ओर चलना पड़ेगा ।

(2)

अमेरिका का 'स्वाधीनता का घोषणा पत्र' पहला सुनिश्चित दस्तावेज है जिसमें राज्य को पूरी तरह जनता के प्रति उत्तरदायी माना गया है । इसे 'वर्जीनिया घोषणा पत्र' के नाम से जाना जाता है । किसी राज्य में मनुष्य के अधिकारों की सुरक्षा व अधिकारों का यह पहला घोषणा पत्र माना जाता है। जार्ज मेसन इसका मुख्य लेखक समझा जाता है । वर्जीनिया के सम्मेलन में 12 जून 1776 को इस घोषणा पत्र को एक मत से स्वीकार किया गया । इसमें कहा गया कि ''हम इन सत्यों को स्वयं प्रभावित मानते हैं कि समस्त मनुष्य समान बनाए गए हैं और अपने रचयिता/ बनाने वाले द्वारा उन्हें कुछ निश्चित अधिकार दिए गए हैं जो बदले नहीं जा सकते क्योंकि इनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश है। इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये मनुष्यों के बीच सरकार बनायी जाती है जो जनता की अनुमति से अपने कानूनी अधिकार प्राप्त करती है।'' इसी घोषणा पत्र में आगे कहा गया कि ''समस्त शक्तियाँ जनता में ही निहित हैं और वहीं से जन्म लेती हैं । अधिकारी (मजिस्ट्रेट) लोगों के ट्रस्टी / सेवक हैं और हर समय उनके प्रति जवाबदेह हैं।'' भारत में जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुयी तो जेफ़रसन व टॉमस पेन को बहसों में उद्धृत किया गया । जनता के

अधिकार व शक्ति की सर्वोच्चता की सोच व लक्ष्य को संविधान के उद्देश्यों के रूप में सामने रखा गया । नेहरु ने संविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' रखते हुए कहा कि ''संप्रभु स्वतंत्र भारत, इसके संवैधानिक हिस्से और सरकार के अंग, अपनी समस्त शक्तियाँ व अधिकार जनता से प्राप्त करते हैं, जनता से निःसृत होते हैं ।''

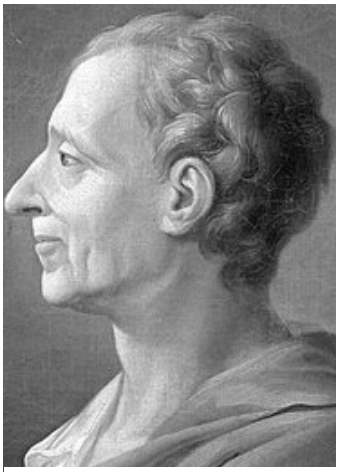

मॉन्टेस्क्यू

जनता की इस चुनौतीविहीन शक्ति को कोई सरकार अतिक्रमित न कर सके, इसे खत्म न कर सके, इसके लिये मॉन्टेस्क्यू के इन विचारों को माना गया कि सरकार को तीन हिस्सों में बाँट दिया जाए। व्यवस्थापिका (संसद), कार्यपालिका (मंत्रि मंडल) और न्याय पालिका (सर्वोच्च न्यायालय) । मॉन्टेस्क्यू ने इस बंटवारे के पीछे के कारण को बहुत स्पष्ट रूप से रखा। उसने कहा कि जब ''कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या न्यायाधीशों के किसी समूह के पास आ जाती हैं, तब कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि आशंकाए जन्म ले सकती हैं कि वही राज्य या संसद क्रूर, निर्दयी कानूनों को बना सकती है और उन्हें क्रूर, निर्दयी तरीकों से लागू भी कर सकती है । .....

''यदि उसी व्यक्ति को या उसी समूह को, चाहे उच्चवर्ग का हो या जनता का, तीनों शक्तियों पर अधिकार मिल जाएगा तब प्रत्येक चीज का अंत हो जाएगा।''भारत के संविधान में भी जनता के अधिकारों को सुरक्षित कवच देने के लिये यही व्यवस्था रखी गयी । अमेरिका स्वाधीनता के घोषणा पत्र के जनक लेखक जेफ़रसन ने भी जनता को सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता माना था। उसका स्पष्ट मानना था कि कोई भी शासक, किसी भी रूप में, न तो किसी घोषित व न किसी छुपे समझौते द्वारा जनता से अलग और उससे ऊपर है। इस घोषणापत्र के पहले प्रारूप में माना गया है कि मनुष्य समान और स्वतंत्र जन्म लेते हैं । प्रत्येक पीढ़ी के लोग अपने लाभ और हितों के लिये सरकार चुनते हैं । सरकार उनके और उनकी सन्तानों के हित में है या नहीं, यह भी वही तय करते हैं। जनता के उपर इस तरह की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है जो उसे किसी सरकार के इस दावे को मानने के लिये विवश करे कि सरकार की शक्ति का स्त्रोत उसके (जनता के) अलावा कोई और है । यानी शासन का कोई दैवीय राजवंशीय अधिकार सरकार के पास है या जनता से अलग, कोई सरकार किसी और समझौते या तरीके से शासन की शक्ति हासिल करे । वह किसी भी तरह, किसी ईश्वर का प्रतिनिधि, या सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतीक बनकर, या कोई समूह, अपनी अच्छाइयों और नैतिकताओं की बाध्यता का दावा करके जनता पर शासन करे। जेफ़रसन यहीं नहीं रुकता, वह जनता की इस शक्ति को अंतिम सिरे तक ले जाना चाहता है । वह कहता है कि कोई भी पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को किसी बंधन में बाँधने का अधिकार नहीं रखती । उसे आंकड़ों से पता था